

कार्यालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :- 2008

दिनांक :- 23/9/26

--: आदेश :-

रिमाण्ड ड्यूटी

मैं, पुलकित शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम, माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर-प्रथम के आदेश क्रमांक-स्था/08/2020/6096 दिनांक 19.11.20 की अनुपालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि माह अक्टूबर, 2026 की अवधि में निम्नलिखित कॉलम नम्बर-2 में अंकित राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जिनमें जमानत, रिमाण्ड, 183 भा.ना.सु.सं., 2023 के बयान, मृत्युकालिक कथन तथा धारा 196 भा.ना.सु.सं., 2023 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा संबंधी कार्य करने व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई कॉलम नम्बर-3 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम नम्बर-4 में अंकित है, करेंगे:-

सारणी (1) --: जयपुर एवं बस्सी मुख्यालय हेतु --:

क्र.सं.	दिनांक अवकाश	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) व मोबाईल नम्बर
कॉ(1)	कॉलम नं० (2)	कॉलम नं० (3)	कॉलम नं० (4)
1.	02.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1, जयपुर महानगर प्रथम	तापस सोनी, आर.जे.एस. मो० नं० 94139-90808
2.	04.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3, जयपुर महानगर प्रथम	मुकुल गहलोत, आर.जे.एस. मो० नं० 77372-07628
3.	10.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम	नीति वर्मा, आर.जे.एस. मो० नं० 94147-56052
4.	11.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-7, जयपुर महानगर प्रथम	ममता, आर.जे.एस. मो० नं० 87409-32919
5.	18.10.2026	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-4, जयपुर महानगर प्रथम	भानुप्रिया जैन, आर.जे.एस. मो० नं० 83879-34656
6.	19.10.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12, जयपुर महानगर प्रथम	अक्षिता अवस्थी, आर.जे.एस. मो० नं० 89496-22682
7.	20.10.2026	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम	एकता सेहरा, आर.जे.एस. मो० नं० 90247-55055
8.	21.10.2026	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-1, जयपुर महानगर प्रथम	ललिता कुमारी सोनी, आर.जे.एस. मो० नं० 91661-65044
9.	22.10.2026	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-6, जयपुर महानगर प्रथम	अमिता चौधरी, आर.जे.एस. मो० नं० 97827-59024
10.	23.10.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, जयपुर महानगर प्रथम	शिवानी मीणा, आर.जे.एस. मो० नं० 95712-16545
11.	24.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-10, जयपुर महानगर प्रथम	भारती पंवार, आर.जे.एस. मो० नं० 97997-03100

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-प्रथम

सारणी (1) --: जयपुर एवं बस्सी मुख्यालय हेतु --:

क्र.सं.	दिनांक अवकाश	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) व मोबाईल नम्बर
कॉ(1)	कॉलम नं० (2)	कॉलम नं० (3)	कॉलम नं० (4)
12.	25.10.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जयपुर महानगर प्रथम	ऋषि गुप्ता, आर.जे.एस. मो० नं० 90676-12991
13.	नोट नं० (1) :- अक्टूबर, 2026 में आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन/उपरोक्त में से किसी अधिकारी के अचानक अवकाश पर रहने पर।	01.10.26 से 10.10.26	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-10, जयपुर महानगर प्रथम
		11.10.26 से 20.10.26	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-9, जयपुर महानगर प्रथम
		21.10.26 से 31.10.26	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-11, जयपुर महानगर प्रथम
			जानवी गुणावत, आर.जे.एस. मो० नं० 80776-68365
			हर्षिता, आर.जे.एस. मो० नं० 80941-12705
			सौरभ बंसल, आर.जे.एस. मो० नं० 94133-17134

सारणी (2) --: सांगानेर व चाकसू मुख्यालय हेतु --:

(मृत्युकालीन कथन व धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही के अलावा अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु)

क्र.सं.	दिनांक अवकाश	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) व मोबाईल नम्बर
कॉ(1)	कॉलम नं० (2)	कॉलम नं० (3)	कॉलम नं० (4)
1.	02.10.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	श्वेता स्वामी, आर.जे.एस. मो० नं० 90578-65565
2.	04.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	सरोज कुमारी चौधरी, आर.जे.एस. मो० नं० 70621-05900
3.	10.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-14 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	सरोज कुमारी चौधरी, आर.जे.एस. मो० नं० 70621-05900
4.	11.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-17 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	संतोष मीना, आर.जे.एस. मो० नं० 94133-78170
5.	18.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-17 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	संतोष मीना, आर.जे.एस. मो० नं० 94133-78170
6.	19.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	ममता गुप्ता, आर.जे.एस. मो० नं० 89520-29200
7.	20.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-13 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	ममता गुप्ता, आर.जे.एस. मो० नं० 89520-29200
8.	21.10.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-17 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	कविता चारण, आर.जे.एस. मो० नं० 97847-10835
9.	22.10.2026	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-17 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	कविता चारण, आर.जे.एस. मो० नं० 97847-10835
10.	23.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	साक्षी चौधरी, आर.जे.एस. मो० नं० 87643-91289
11.	24.10.2026	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	साक्षी चौधरी, आर.जे.एस. मो० नं० 87643-91289

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-प्रथम

सारणी (2) -- सांगानेर व चाकसू मुख्यालय हेतु --

(मृत्युकालीन कथन व धारा 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कार्यवाही के अलावा अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु)

क्र.सं.	दिनांक अवकाश	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) व मोबाईल नम्बर
कॉ(1)	कॉलम नं0 (2)	कॉलम नं0 (3)	कॉलम नं0 (4)
12.	25.10.2026	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-12 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम	सिमरन सिंह वर्मा, आर.जे.एस. मो0 नं0 63765-91139
13.	नोट नं0 (1) :- अक्टूबर, 2026 में आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन/उपरोक्त में से किसी अधिकारी के अचानक अवकाश पर रहने पर।	01.10.26 से 15.10.26	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-18 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम
		16.10.26 से 31.10.26	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) क्रम-12 (सांगानेर), जयपुर महानगर प्रथम
			श्वेता स्वामी, आर.जे.एस. मो0 नं0 90578-65565
			सिमरन सिंह वर्मा, आर.जे.एस. मो0 नं0 63765-91139

नोट :- उपरोक्त में से किसी दिवस पर सांगानेर मुख्यालय पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के उपलब्ध न रहने पर आवश्यक फौजदारी कार्य का निष्पादन सारणी संख्या (1) जयपुर मुख्यालय पर अधिकृत अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जावेगा।

निर्देश-

- (1) माह अक्टूबर, 2026 में आकस्मिक रूप से अवकाश घोषित होने पर उपरोक्त सारणियों में क्रम संख्या-13 पर नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक फौजदारी कार्य किया जावेगा एवं क्रम संख्या-13 पर नामित अधिकारी के भी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु उचित आदेश सम्बन्धित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले न्यायिक अधिकारी अथवा निकट के अन्य न्यायिक अधिकारी के आवास से प्राप्त किये जा सकेंगे।
- (2) अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11.00 बजे से सांय 03.00 बजे तक रहेगा। अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का स्थान व अन्य व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।
- (3) कॉलम नम्बर 3 में अंकित पीठासीन अधिकारी के द्वारा अवकाश उपभोग करने अथवा मुख्यालय परित्याग करने की अनुमति/स्वीकृति चाहे जाने की स्थिति में वे अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा तत्पश्चात श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा स्वीकृति जारी करने के पश्चात ही अवकाश उपभोग/मुख्यालय परित्याग कर सकेंगे।
- (4) उपरोक्त नामित अधिकारीगण अवकाश दिवस से पूर्व, कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से, अवकाश दिवस एवं तत्पश्चात् आगामी कार्य दिवस के न्यायालय समय पूर्व तक आवश्यक फौजदारी कार्य का निष्पादन करेंगे।
- (5) निर्धारित समय में आवश्यक रूप से अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर मुल्जिम को पेश करने पर सम्बन्धित पुलिस कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे व सम्बन्धित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।
- (6) अवकाश के दिन रिमाण्ड कार्य हेतु अधिकृत पीठासीन अधिकारी अपने न्यायालय के स्टॉफ को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा जारी पत्र क्रमांक स्थापना/2021/1782 दिनांक 01 अप्रैल, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे तथा हकदार कर्मचारी को इस हेतु नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया जावे।

— 52 —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक :- 2009/102020

दिनांक :- 23/9/2026

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि यदि उपरोक्तानुसार अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई हो तो निरस्त करने की कृपा करें।
2. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
3. श्रीमान् पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
4. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त में से किसी अधिकारी को लोक अदालत/अन्य विधिक सेवा से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया हुआ हो तो उसे उक्त कार्य से उन्मुक्त करने का श्रम करें।
5. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट. केसेज), जयपुर, महानगर प्रथम।
7. उप-निदेशक अभियोजन प्रथम, जयपुर।
8. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलैक्ट्रेट/बरसी/सांगानेर/चाकसू, जयपुर महानगर।
9. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु
10. वरिष्ठ लिपिक, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर प्रथम आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करें।
12. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

— 53 —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम